न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी – बृजेश गुप्ता आर.ए.एस.)

मूल प्रकरण संख्या – 30 / 2012(वाद)
बाद रिमांड प्रक0सं0 – 98 / 2021
दायर दिनांक – 18 / 10 / 2021
निर्णय दिनांक – 18 / 10 / 2021
संशोधित निर्णय दिनांक – 12/06/25

अनवान

1. कमला बेवा रतनलाल जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. धीसी बेवा रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा हाल पति उदयराम जाट निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चितोडगढ
2. शान्ति पिता रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा हाल पति बद्रीलाल जाट निवासी सांसेरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. रुकमण उर्फ तारा रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा हाल पति पुरण जाट निवासी निलोद तहसील कपासन जिला चितोडगढ
4. पारसी रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा हाल पति मदनलाल जाट निवासी मण्डपिया तहसील जिला चितोडगढ
5. मीना पिता रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द विलोपित (प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 के बजाय निम्न प्रतिवादी बने।)

12. माधव लाल पिता नारायण गाडरी जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
13. भेरूलाल पिता नारायण लाल गाडरी जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।

6. शंकरलाल पिता लालूजाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द मृतक के बजाय
   6/1 पन्नालाल पिता शंकरलाल जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
7. लोबु पिता लालु जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
8. राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारक तहसीदार रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. उगमी पिता लालु पत्नी पृथ्वीराज जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा हाल निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. बद्रीलाल पिता खेमराज सालवी निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
11. फरीदाबानू पिता पेशावर खाँ मुसलमान जाट निवासी 69 सराय दरौली जिला उदयपुर।

प्रतिवादीगण

दिनांक 12/06/25

वाद बाबत् विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अ.

:: संशोधित निर्णय::

वादीयॉ ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अ. के तहत प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम पछमता तहसील रेलमगरा में वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 317, 391,

सहायक कलक्टर

585, 1186, 1201 कुल किता–05 कुल रकबा 25–08 बीघा स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमियों में वादीया का 1/4 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 04 व 05 का है व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 06 व 07 का है। वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमियों का कोई विभाजन नही हुआ है एवं विभाजन नही होने से भूमियों का विकास संभव नही है एवं लगान जमा कराने में भी काफी कठिनाई हो रही है व अन्य प्रकार की भी कठिनाई हो रही है तथा विभाजन के लिये कहने पर प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 मना कर रहे है तथा आज से एक माह पूर्व भी विभाजन कराने के लिये कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 ने मना कर दिया ऐसी सूरत में वादीया के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद लाकर भूमियों का विधिवत् रूप से विभाजन करा सकें एवं राजस्व रेकार्ड में स्वतन्त्र अंकन करवा सकें एवं विभाजन के बाद वादीया को प्राप्त होने वाली भूमियों में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 अथवा इनके परिवारजन, नौकर, चाकर, ऐजेन्ट, मित्रगण कोई दखलन्दाजी नही करें इस हेतु इन्हे स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये भी पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है जिससे यह वादीया का वादपत्र विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीया का वाद हेतुक आज से एक माह पूर्व जब वादीया ने प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 को भूमियों का विभाजन कराने को कहा व मना कर दिया तब से उत्पन्न होकर जारी है। प्रतिवादी संख्या 08 भूमिधारक होने से उन्हे इस वाद में पक्षकार बनाये गये है अन्यथा उनके विरूद्व कोई दाद नही चाही जा रही है। प्रार्थना है कि वादीया के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 के विरूद्व इस आशय की डिक्री पारित फरमायी जावें कि ग्राम पछमता की वर्तमान आराजी संख्या 317, 391, 585, 1186, 1201 का विधिवत् रूप से हिस्सेनुसार विभाजन कराया जाकर वादीया को उसके 1/4 हिस्से का स्वतन्त्र आधिपत्य दिलाया जावें एवं राजस्व अभिलेख में स्वतन्त्र अंकन की जावें इस हेतु प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री पारित फरमायी जावें। बाद विभाजन वादीया को प्राप्त होने वाले हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 07 अथवा उनके परिवारजन, चौकर–चाकर, ऐजेन्ट, मित्रगण कोई किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें इस हेतु उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबन्धित फरमाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 08 भूमिधारक होने आवश्यक पक्षकार बनाया गया परन्तु उनके विरूद्व कोई सहायता नही चाही गई है। प्रतिवादी संख्या 09 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब मय प्रतिपवाद बाबत् घोषणा के प्रस्तुत किया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में वादीया एवं प्रतिवादीगण के साथ प्रतिवादी संख्या 09 का भी हक निहीत है जिसके लिए प्रतिपवाद अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र की कलम संख्या 02 का विवरण जिस रूप मे वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में वादीया का 1/4 हिस्सा नही होकर 1/5 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 तक का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 06, 07 व 09 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा निहीत है। वादीया प्रतिवादी संख्या 09 को उक्त भूमियों से वंचित रखने के आशय से वादपत्र में गलत हिस्सा अंकित किया है। वादपत्र की कलम संख्या 03 के विवरण

जवाब की कलम संख्या 02 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 09 का भी 1/5 हिस्सा घोषित किये जाने के बाद विभाजन किया जाने में प्रतिवादी संख्या 09 भी सहमत है। वादपत्र की कलम संख्या 04 के विवरण में वादीया के वाद का कोई हेतुक उत्पन्न नही हुआ है किन्तु वादीया प्रतिवादी संख्या 09 को अपनी पैतृक सम्पत्तियों से वंचित करने के लिये उक्त वाद मिथ्या तथ्यों पर आधारित पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। वादपत्र की कलम संख्या 05 का विवरण प्रतिवादी संख्या 09 से सम्बन्धित नही होने से जवाब की आवश्यकता नही है। वादपत्र की कलम संख्या 06 व 07 का विवरण कानूनी होने से जांच से सम्बन्धित है। वादपत्र की कलम संख्या 08 के विवरण में प्रार्थना के अनुसार राजस्व रेकार्ड में गलत हिस्सा दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 09 भी अपना हिस्सा घोषित कराने के लिये अलग से प्रतिपवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिससे प्रतिवादी संख्या 09 का हिस्सा घोषित किये जाने के बाद ही वादीया अपने हिस्से का विभाजन करा सकती है अन्यथा वादीया का वाद खारिज होने योग्य है। ग्राम पछमता पटवार हल्का पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 317, 391, 585, 1186, 1201 कुल किता–05 कुल रकबा 25–09 बीघा स्थित है। प्रतिपवाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 06, 07 व 09 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 तक का 1/5 हिस्सा बनता है। परन्तु 01 से लगायत 04 तक के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 05 के पति तथा प्रतिवादी संख्या 06 व 07 ने ग्राम पंचायत से मिलकर नामान्तरकरण संख्या 233 उनके नाम पर ही खुलवा लिया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 09 का भी हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 09 स्वर्गीय लालु पिता गोकल की जायन्दा पुत्री है व उनकी मृत्यु के पहले हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आ चुका था जिससे हिन्दु अविभक्त भूमियों में पुत्रियों का भी अपने जन्म से पुत्र के समान अधिकार प्राप्त है। प्रतिपवाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादी संख्या 09 का 1/5 हिस्सा राजस्व अभिलेख में अंकित फरमाया जावें एवं तद्नुसार विभाजन कराया जावें क्योंकि बिना विभाजन के भूमियों का विकास संभव नही है एवं लगान इत्यादि जमा कराने में भी पक्षकारों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है, प्रतिवादी संख्या 09 के प्रतिपवाद का हेतुक अगस्त 2012 में प्रतिवादी संख्या 09 द्वारा वादीया एवं अन्य प्रतिवादीगण को अपना हिस्सा अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने हेतु कहा गया किन्तु इन्कार कर देने से प्रथम बार उत्पन्न हुआ तथा उक्त इंकार के बाद प्रतिवादी संख्या 09 ने वादीया एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्व एक घोषणा का वादपत्र सहायक कलक्टर रेलमगरा में प्रस्तुत किया गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 09 के अधिवक्ता राजसमन्द के न्यायालय में पैरवी हेतु चले जाने से एवं पत्रावली तामिल हेतु नियत थी इसलिए प्रतिवादी संख्या 09 भी उपस्थित नही हुई जिससे प्रतिवादी संख्या 09 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज हो गया जिसको पुनः नम्बर पर लेने के लिये आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। इस दरमियान प्रतिवादी संख्या 09 को उक्त वादपत्र की जानकारी हुई जिसमें आदेश 01 नियम 10 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा आवश्यक पक्षकार के रूप में जोडा गया जिससे प्रतिपवाद का प्रतिपवाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। पत्रावली प्रतिपवाद के जबाव में नियत थी कि राजस्व न्याय आपके द्वार–2017 के तहत दिनांक 18/05/2017 को आयोजित कोर्ट कैम्प पछमता पर रखी गई। वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 09 ने स्वयं उपस्थित होकर एक इकरार नामा की फोटो प्रति एवं राजीनामा मय बंटवारा फहरिस्त मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तावित प्रस्ताव के प्रस्तुत किया

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

, पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी
वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं प्रतिवादी संख्या 09 का प्रतिपवाद बाबत् घोषणा का स्वीकार
ा जाकर उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी संख्या 09 को 1/5 हिस्सा का खातेदार
तकार घोषित किया गया एवं पक्षकारान के मध्य विभाजन के आदेश दिये गये।

न आदेश से असंतुष्ठ होकर कर त्रुटिपूर्ण आदेश को सही कराये जाने हेतु प्रतिवादी
भी पिता लालु जाट निवासी गिलुण्ड में न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन
र्गत आदेश 47 नियम 01 सी.पी.सी. सपठित धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 18/10/2021 को संशोधित निर्णय व डिक्री पारित
ये जाने के आदेश पारित किये जाकर प्रार्थना पत्र को मूल वाद पत्रावली के साथ संलग्न
या गया।

प्रकरण में दौरानें वाद अन्य पक्षकार को जोडा कर संशोधित शीर्षक प्रस्तुत
अब पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होकर पक्षकारान
रा अपना राजीनामा प्रस्तुत किया गया। अतः प्रकरण में उभय पक्षों के राजीनामा पर सुना
ाकर प्रकरण में राजीनामा अनुसार संशोधित आदेश व डिक्री जारी किये जाने के आदेश
दिये जाते है।

: : संशोधित आदेश : :

अतः प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामे अनुसार संशोधित आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम पछमता के आराजी संख्या 317, 391, 585, 1186, 1201 कुल किता–05 कुल रकबा 25–09 बीघा में पक्षकारान के वादग्रस्त भूमियों में राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति से विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान की उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि का मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति अनुसार विभाजन किया जाकर विभाजन योजना दो–दो प्रतियों में मय नक्शा ट्रेस में पृथक–पृथक रंग भरे जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप प्रारम्भिक डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 12/06/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(बृजेश गुप्ता)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा